हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 90

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2025/11 मार्गशीर्ष, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(1) **तारांकित :**

तारांकित प्रश्न संख्या : 2267 (स्थगित) पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मा0 मुख्य मन्त्री द्वारा उत्तर दिया गया।

माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त तारांकित प्रश्न के संदर्भ में कहा कि पिछली सरकार की यह व्यवस्था चली आ रही है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। वे इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और सूचना जल्द-से-जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस सत्र के दो-तीन दिन शेष रह गए हैं परंतु अगले वर्ष के जो दो-तीन सत्र आएंगे उसमें सूचना उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Hon'ble Chief Minister will try, in any case, if not possible then in the next Session you will get the information. This is what he has assured the Hon'ble House."

तारांकित प्रश्न संख्या : 2337 व 3098 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 3667 से 3670 व 3672 के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मा0 मुख्य मन्त्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3671 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3673 से लेकर 3718 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित :**

अतारांकित प्रश्न संख्या :, 1359 व 1377 (स्थगित) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या : 1487 से 1500 तक के उत्तर सभापटल पर रखे गए।

शून्यकाल

(1) **डॉ0 जनक राज, सदस्य** ने भेड़ पालकों और भेड़ पालन व्यवसाय में आ रही समस्याओं के बारे में विषय सदन में उठाया और चाहा कि भेड़ पालकों को जो भी समस्याएं आ रही हैं उन पर सरकार गंभीरता से विचार करे। इसके अलावा राजस्थान और अन्य प्रदेशों से जो पशु यहां बेचने के लिए लाए जा रहे हैं उससे स्थानीय भेड़ पालकों की भेड़-बकरियों की खरीदारी कम हो रही है जिससे यह व्यवसाय खतरे की जद में है। वे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अपने जनजातीय लोगों के इस पारंपरिक व्यवसाय के लिए विशेष संरक्षण प्राप्त करना चाहेंगे क्योंकि यह उनके समुदाय की पहचान है और इसे समाप्त होने से बचाया जाए।

उक्त विषय के संदर्भ में माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज ने शून्य काल में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। यह ठीक है कि जब गडरिये अपने मवेशियों के साथ निकलते हैं तो कुछ छुट-पुट चोरी की घटनाएं होती हैं। इसके लिए आदेश दिए गए हैं कि निकटवर्ती ठानों में इसकी रिपोर्टिंग की जाए ताकि इसकी पूरी तहकीकात की जा सके। जो व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि स्थानीय लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। अगर निकटवर्ती ठानों में इसकी रिपोर्टिंग की जाए तो उसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। जहां तक दवाइयों की बात है, यह ठीक है कि उसमें थोड़ी देरी

हुई है परंतु अब इनका रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और जहां-जहां पर जितनी मांग है, सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दे दिए हैं और वहां पर दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक ऊन कटाई की बात है उसे भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) **माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप** ने विषय उठाया कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हब्बन के निर्माणधीन कार्य में इतना विलंब क्यों हो रहा है जबकि विभाग के पास 35 लाख रुपये की राशि शेष बची है! इसके कारण इस इलाके के बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वे बच्चे पंचायत घर में अपनी क्लासें लगा रहे हैं। मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि वे जल्द-से-जल्द इस कार्य को आरंभ करें।

दूसरा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ है, उनके पास एक खेल मैदान है परंतु उस खेल मैदान में स्कूल के भवन का निर्माण किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि बच्चों के खेल के मैदान को छोटा न किया जाए और वहां पर जो कमरों का निर्माण किया जाना है उन्हें किसी अन्य स्थान पर बनाया जाए।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"This House has taken a cognizance of this issue and whatever concerns have been raised by the Hon'ble Member will be conveyed to the respective department. Since the Hon'ble Minister is not here to intervene, your concern will be conveyed to the respective department."

(3) **माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती** ने ऊना के साथ लगते रामपुर गांव के पुल का विषय सदन में उठाया और अवगत करवाया कि उस पुल के पिलर बरसात के दिनों में और अवैध माइनिंग के कारण बैठ गए थे जिसके कारण वहां पर पुल को बंद करना पड़ा था। यह मार्ग लगभग 14 पंचायतों का मुख्य मार्ग है। ऊना-संतोषगढ़-पंजाब तक यह रास्ता जाता है। उसके बाद वहां पर बैली ब्रिज लगाया और बैली ब्रिज को चलते हुए दो वर्ष हो गए। उस बैली ब्रिज की वजन उठाने की क्षमता 10-12 टन की है पंरतु उस एरिया के अंदर आई0ओ0सी0 का एक टर्मिनल है उसके ऊपर से 300-400 ट्रक रोज तेल ले करके पूरे हिमाचल

से और अन्य जगहों से लेह-लद्दाख तक जाते हैं। इससे डर रहता है कि जब उस बैली ब्रिज के ऊपर से ट्रक/टिप्पर निकलते हैं तो कहीं वह पुल टूट न जाए जिससे 14 गांवों का रास्ता बंद हो जाएगा और पंजाब को जाने का रास्ता भी टूट जाएगा। इसलिए कंसर्न इतना ही है कि प्रदेश सरकार उसके लिए बजट प्रोवाइड करवाए ताकि उस पुल का काम शुरू हो सके। पिछले दिनों वह बैली ब्रिज कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था जिसके कारण वहां पर बहुत अफरा-तफरी हुई थी जिसके कारण लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। इसलिए उस पुल के लिए जो बजट विभाग ने मांगा है सरकार उस बजट को विभाग को उपलब्ध करवाए ताकि उस पुल का काम जल्द-से-जल्द शुरू किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है। माननीय मंत्री जी अभी सदन में नहीं हैं और विभाग इसका संज्ञान भी लेगा और विधान सभा सचिवालय इस विषय को संबंधित विभाग तथा मंत्री के पास भी पहुंचायेगा ताकि इसके ऊपर जल्द कार्रवाई की जा सके।"

(4) **माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल** ने खैर के पेड़ की कटाई का उचित मूल्य किसान को उपलब्ध करवाने और खैर के पेड़ को काटने से संबंधित मार्किंग का कार्य ठेकेदारों से न करवा कर संबंधित विभाग स्वयं करे, के संबंध में शून्य काल में मामला उठाया और चाहा कि किसान को लिबर्टी हो कि वह अपना माल जिसे बेचना चाहे उसको बेचे, यही अनुरोध है।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"I think again nobody wants to respond to this issue. Still it is a very important issue and this House has taken a cognizance of it. The Vidhan Sabha Secretariat will convey this issue to the respective Department and will certainly ask them to come forward with the reply and the information will be supplied to the Hon'ble Member."

(5) **माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल** ने आउट सोर्स के माध्यम से आर0एच0 बिलासपुर में स्वच्छता व्यवस्था में लगाये गये लोगों की आयु जो 18 वर्ष से 50 वर्ष निर्धारित की गई है, उसकी सीमा बढ़ाने के संबंध में मामला सदन में उठाया तथा

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में जब सेवानिवृत्ति आयु 58 व 60 साल है तो इनको भी 60 साल तक काम करने का मौका दिया जाए। इसके अतिरिक्त जब तक अन्य आदेश न हो जाएं तब तक वहां तैनात दोनों महिलाओं को न निकाला जाए।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Again it is an important issue that has been brought into the notice of the august House. We will certainly look into this also and will convey your sentiments to the respective department and as well as to the outsource agency. We will let you know the decision taken by the respective department and the outsource agency."

(6) **माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल** ने उचित मूल्य की सरकारी राशन दुकानों के डिपो होल्डर्स की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में शून्य काल के दौरान मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि आज के प्राइस इंडैक्स या जीवन यापन के साधन के रूप में राशन का कमीशन डिपो धारक के लिए बिल्कुल भी वाइबल नहीं है। वे मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बारे में संजीदगी से विचार करें और इनके लिए भी मानदेय या कमीशन का ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इन लोगों की इस कार्य में रुचि बनी रहे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से काम किया जाता है या गलत गतिविधियां होती हैं तो उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए ताकि ये लोग सम्मानजनक तरीके से राशन का वितरण करें और आम जनमानस व गरीब व्यक्तियों को सुविधाएं दें।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"माननीय सदस्य के इस विषय को सरकार के ध्यान में विधान सभा सचिवालय के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा और विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से भी माननीय सदस्य को अवगत करवा दिया जाएगा।"

(7) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक** ने शून्य काल में 'अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड' का मामला उठाया और चाहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सैनिक वेल्फेयर बोर्ड है उसी तरह से अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड भी

होना चाहिए क्योंकि प्रदेश में लगभग 2,64,000 अर्धसैनिक बल के रिटायर्ड व्यक्ति हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री जी से यह भी आग्रह किया कि अर्धसैनिक बल के जवानों की विधवाओं और परिवारों को भी वही सुविधाएं मिलें जो सैनिक के परिवारों को मिलती हैं। इस बारे में दो-तीन बार अर्धसैनिक बलों का प्रतिनिधि मण्डल भी मुख्य मंत्री जी से मिल चुका है और मुख्य मंत्री जी ने उन्हें पॉजिटिव रिस्पोंस भी दिया है।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Again a very important issue has been brought before the House by the Hon'ble Member and the House has taken a cognizance of it also. We will convey your sentiments to the respective department, as well as to the Hon'ble Chief Minister and he may come up with the reply that will be supplied to you also."

(8) **माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा** ने विषय उठाया कि उनके विधान सभा क्षेत्र नालागढ़ से संबंधित एक खिलाड़ी श्री संदीप सिंह सैनी जी हैं जिन्होंने साउथ एशियन चैम्पियनशिप जोकि रांची में 24 अक्तूबर, 2025 से 26 अक्तूबर, 2025 तक आयोजित हुई थी, में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस चैम्पियनशिप में सात देशों ने भाग लिया था और हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ क्षेत्र के संदीप सिंह सैनी जी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। माननीय खेल मंत्री और मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इस खिलाड़ी को इनाम राशि या उसका हक दिया जाए। वर्तमान में वे आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भविष्य में यदि राज्य में योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी दी जाए तो यह उनके लिए उचित होगा।

उक्त विषय पर माननीय आयुष और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री ने माननीय सदस्य को अवगत करवाया कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करती है जो खेलों में प्रदेश के लिए स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतते हैं। माननीय सदस्य द्वारा जिस खिलाड़ी का उल्लेख किया गया है उन्हें भी सरकार द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार जो भी उनका हिस्सा बनता होगा, वह उचित मान-सम्मान के साथ दिया जाएगा।

2. प्रकाशित अधिनियम सभा पटल परः

सचिव, विधान सभा ने हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (2025 का अधिनियम संख्यांक 46) के रूप में राजपत्र में प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कनिष्ठ कैमरामैन, ग्रुप-सी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए(3)-60/99-II, दिनांक 21.08.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.09.2025 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन एवं औद्यानिकीय उपज विपणन बोर्ड (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वार्षिक राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा जारी लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

(1) **श्री रणवीर सिंह निक्का, सदस्य** ने "सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति बारे" सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, सदस्य** ने "गरली हेरिटेज विलेज के संरक्षण, स्थानीय शिल्पकारों व कारीगरों को प्रोत्साहन तथा पर्यटकों की सुविधाओं के विकास बारे" सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. **विधायी कार्यः**

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पुरःस्थापित हुआ।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) पुरःस्थापित हुआ।

(3) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पुरःस्थापित हुआ।

(4) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) पुरःस्थापित हुआ।

6. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः**

(1) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक** द्वारा दिनांक 27.11.2025 को प्रस्तुत प्रस्ताव - **"प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर यह सदन विचार करे"** पर आगे चर्चा जारी -

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. कैप्टन रणजीत सिंह राणा

(01.04 बजे अपराह्न सदन की बैठक 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(सदन की बैठक 2.00 बजे अपराह्न श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा में भाग लिया :-

2. नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर

माननीय मुख्य मंत्री ने विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया।

3. श्री चंद्र शेखर

(03.07 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

4. श्री रणधीर शर्मा

माननीय राजस्व मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

5. श्री विनोद सुल्तानपुरी
6. श्री अनिल शर्मा

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया।

7. श्री किशोरी लाल

8. श्री बलबीर सिंह वर्मा

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी।

05.00 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक बुधवार, 03 दिसम्बर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

***